1102

9202
16/10/15

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 12(13)राज / वाद / 2015 जयपुर, दिनांक 30.9.15

:: आदेश ::

वर्तमान व्यवस्था के अनुसार राज्य पक्ष के विरूद्ध दायर किसी याचिका / अपील / डी.बी. स्पेशल अपील की पैरवी हेतु एवं निर्णय के विरूद्ध अपील दायर करने का सक्षम स्तर से निर्णय होने के पश्चात राज्य पक्ष के विरूद्ध दायर याचिका / अपील / डी.बी. स्पेशल अपील की पैरवी हेतु एवं राज्य पक्ष की ओर से प्रस्तुत की जाने वाली अपील दायर कर पैरवी करने के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता की नियुक्ति के प्रस्ताव संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा विधि विभाग को भिजवाये जाते हैं।

उक्त व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए यह निर्णय लिया जाता है कि प्रशासनिक विभाग उनको आवंटित अतिरिक्त महाधिवक्ता को राज्य पक्ष के विरूद्ध अथवा राज्य पक्ष द्वारा दायर याचिका / अपील / डी.बी. स्पेशल अपील की पैरवी करने के निर्देश विधि विभाग की पूर्व स्वीकृति के बिना जारी कर सकेंगे ताकि अपील शीघ्रता से प्रस्तुत की जा सके।

यदि कोई विभाग महाधिवक्ता के माध्यम से अथवा उनसे संबन्द्ध अतिरिक्त महाधिवक्ता से भिन्न किसी अन्य अतिरिक्त महाधिवक्ता से राज्य पक्ष के विरूद्ध दायर अथवा राज्य पक्ष की ओर से प्रस्तुत की जाने वाली याचिका / अपील / डी.बी. स्पेशल अपील प्रस्तुत कराना चाहें अथवा विशेष फीस पर महाधिवक्ता / अतिरिक्त महाधिवक्ता की नियुक्ति कराना चाहे तो इसके लिये कारणों का स्पष्ट उल्लेख करते हुये नियुक्ति के प्रस्ताव पूर्ववत विधि विभाग को भेजे जायेंगे।

Sd/-
(गोवर्धन बाढ़दार)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपी निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशेषाधिकारी माननीय विधि मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय विधि राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव राजस्थान जयपुर।
4. समस्त निजी सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / विभागाध्यक्ष ।
5. निजी सचिव, महाधिवक्ता राजस्थान जयपुर।
6. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता जयपुर / जोधपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि ।
8. विधि विभाग के समस्त विधि प्रकोष्ठ ।
9. रक्षित पत्रावली

30.9.15
(गोवर्धन बाढ़दार)
शासन सचिव, विधि